फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री नटवरसिंह बीका पुत्र श्री मानसिंह निवासी मुकाम पोस्ट गुलाबगंज तहसील रेवदर जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 75 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख व हुक्म के तामील व जारी हुए
10.11.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनाक 02.09.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत गुलाबगंज में चारागाह(गोचर) भूमि, सरकारी भूमि, तालाव व मैदान व नाडी की भूमि, शमशान घाट की भूमि, बिलानाम भूमि, आबादी भूमि एवं मन्दिरों व समाज की कितनी भूमि है, रकबे व क्षेत्रफल सहित उपलब्ध करावें एवं विगत 50 वर्षो में कितने परिवारों को आवासीय व अन्य कोई कितने पट्टे दिए गए है एवं वर्ष 1961 से 31.08.2022 तक ग्राम पचायत गुलाबगंज के कितने लोगों को आवासीय पट्टे दिए गए है विवरण सहित प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 02.09.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत गुलाबगंज में चारागाह(गोचर) भूमि, सरकारी भूमि, तालाव व मैदान व नाडी की भूमि, शमशान घाट की भूमि, बिलानाम भूमि, आबादी भूमि एवं मन्दिरों व समाज की कितनी भूमि है, रकबे व क्षेत्रफल सहित उपलब्ध करावें एवं विगत 50 वर्षो में कितने परिवारों को आवासीय व अन्य कोई कितने पट्टे दिए गए है एवं वर्ष 1961 से 31.08.2022 तक ग्राम पचायत गुलाबगंज के कितने लोगों को आवासीय पट्टे दिए गए है, विवरण सहित प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि उक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर एवं ग्राम सेवक एव पदेन सचिव ग्राम पंचायत गुलाबगंज से सम्बन्धित होने के कारण लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 1060 दिनांक 13.09.2022 द्वारा मूल पत्रावली सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर एवं ग्राम सेवक एव पदेन सचिव ग्राम पंचायत गुलाबगंज को स्थानान्तरित कर दी थी। चूंकि ग्राम सेवक एव पदेन सचिव ग्राम पंचायत गुलाबगंज के अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नही है। अतः अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई आपसे सम्बन्धित सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे । यदि सूचना देना निय[illegible] नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:35:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner